न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 57/23

GCMS NO 2023/163

1. प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ)
2. रूपचन्द्र पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गुढियारी रायपुर
3. सुरेश चंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गुढियारी रायपुर(मृतक)

   3/1. शिवानी शर्मा पत्नि सुरेश चंद

   3/2. विकास शर्मा पुत्र सुरेश चंद

   3/3. वैभव शर्मा पुत्र सुरेश चंद

   3/4. शीतल शर्मा पुत्री सुरेश चंद

   3/5. सोनल शर्मा पुत्री सुरेश चंद समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गुढियारी रायपुर
4. महेश चन्द पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशतला हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गुढियारी रायपुर
5. रमेश चंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कुशतला हाल हाल निवासी गुढियारी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ) जरिये मुख्तार आम प्रेमचंद पुत्र बदरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गुढियारी रायपुर
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र बलभद्र जाति ब्राहम्ण निवासी 18बाल मंदिर कालोनी सवाई माधोपुर
7. श्रीमती मीना शर्मा पत्नि गोकलेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
8. शैलेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रशेखर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सीमा गर्ग पत्नि डॉक्टर पवन गर्ग जाति महाजन निवासी खत्री का बाग रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 149/19 निर्णय व डिक्री [illegible] जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्रीदास सिंह

अभिभाषक रेस्पो0 श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18.6.2025

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.1.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादिया/रेस्पो0 संख्या द्वारा वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 सपठित धारा 92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्रम कुशतला तहसील व जिला सवाई माधोपुर मे स्थित आराजीयात ख0न0 250,294,295,297,363,374,376,1013, 1014, 1236,1245/5669,1246,1247,1248,1251/5484,4944 कुल किता 16 कुल रकबा 7.29 है0 स्थित है। जिसमे वादिया 1/3 भाग की रिकार्डेड सहखातेदार है तथा इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। वादियां एवं प्रतिवादीगण 1 ता 8 का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयात मे वादिया का 1/3 भाग है जो कि वादिया ने पूर्व सहखातेदार राजेन्द्र प्रसाद एवं विजेन्द्र प्रसाद पिसरान बल्लभ प्रसाद जाति ब्राहम्ण से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था। प्रतिवादी न0 6 नरेन्द्र कुमार का उक्त आराजीयात मे 1/2 भाग है। प्रतिवादी संख्या 7 मीना का खसरा न0 250 रकबा 1.33 है0 मे 5/12 भाग जो कि यह भाग श्रीमती मीना द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था। खसरा न0 295 रकबा 0.52 है0 मे भी प्रतिवादियां मीना शर्मा का भाग 1159/5200 है जो कि यह भाग उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया था। प्रतिवादी न0 8 शलेन्द्र शर्मा का खसरा न0 295 रकबा 0.52 है0 मे 1007/5200 भाग है जो कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था। उसी प्रकार ख0न0 294 व 297 कुल रकबा 0.93 है0 मे भी प्रतिवादी शेलेन्द्र शर्मा का भाग 5/12 है जो कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया है। खसरा न0 4944 रकबा 0.86 है0 मे शेलेन्द्र का भाग 17/86 है जो कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 लगयत 5 से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का भाग खसरा न0 250,295,294 व 297 मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपना सम्पूर्ण 5/12 भाग उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 को विकय कर दिया गया है तथा खसरा न0 4944 मे भी उनके द्वारा 17/86 भाग प्रतिवादी संख्या 8 को विकय कर दिया है जिस कारण उक्त आराजीयात खसरा न0 250,295,297 व 4944 को छोडकर शेष आराजीयात ख0न0 363,374,376,1013,1014,1236,1245/5669,1246,1247,1248,1251/5484 मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का भाग 5/12 है तथा खसरा न0 4944 रकबा 0.86 है0 मे इनके द्वारा विकय किये गये 17/86 भाग को छोडकर बचा हुआ शेष भाग। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के अलावा सहखातेदार श्रीमती आन्नदी पत्नि स्व0बदरी लाल ब्राहम्ण का उक्त समस्त आराजीयात मे 1/12 भाग रहा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिस प्रतिवादी न0 1 लगायत 5 है। जो अपनी माता मृतक आन्नदी के स्थान पर 1/12 भाग के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का उपरोक्त क.स. 5 मे बताये अनुसार स्वयं के भाग के अलावा उनके हिस्से मे अपनी माता का भी 1/12 भाग है। वादिया एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 ने उक्त समस्त आराजीयात का अपने भाग के अनुसार पारस्परिक सहमति से मौखिक रूप से बंटवारा कर रखा है तथा बंटवारे अनुसार ही वादिया एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपने अपने भाग पर काबिज चले आये है, जिसके अनुसार वादिया के हिस्से मे ख0न0 1236 रकबा 0.28 है0, 1246 रकबा 0.30 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:10 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1245/5669 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.01 है0, 1247 रकबा 0.16 है0, 1248 रकबा 0.68 है0, 1014 रकबा 0.18 है0, 1013 रक़बा 0.20 है0, 295 रकबा 0.52 है0 होने से वादिया मौके पर इन पर काबिज चली आई है उसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 भी अपने अपने हिस्से मे आये भाग पर मौके पर काबिज चले आये है। गैर मुमकिन चाह मे पानी की मात्रा न्यून होने के कारण वादिया ने अपने भाग मे नवीन बोरिंग भी लगवा ली है। पक्षकारान के मध्य मौके पर तो मौखिक बंटवारा हो रहा है लेकिन विधिवत बंटवारा नही होने के कारण वादिया एवं प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खातेदारी दर्ज नही हुई है। राजस्व रिकार्ड मे सहखातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। वादिया ने प्रतिवादीगण से विधिवत बंटवारा कराने के लिए कहा तो उनके द्वारा इंकार तो नही किया गया परन्तु टालमटोल करते रहे कि सब अपने अपने भाग पर काविज है इसलिए जल्दी क्या है बाद मे कभी करवा लेगे। लेकिन वादिया द्वारा दिनांक 10.10.19 को बंटवारे के लिए पुनःकहा तो उनके द्वारा इंकार कर दिया गया और कहा कि हम आगे होकर न्यायालय या तहसील मे जाकर कोई कार्यवाही नही करेगे तुम्हे जल्दी हो तो तुम जाकर कार्यवाही करो। प्रतिवादीगण को विधिवत बंटवारा कराने से इंकार करने का कोई अधिकार नही है। वादिया एवं प्रतिवादीगण के बीच किसी प्रकार का विवाद नही हो इस कारण विधिवत बंटवारा कराया जाना आवश्यक है। वादिया के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा प्रतिवादीगण उत्पन्न नही करे इसलिए उनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक है। अतः ग्राम कुशतला तहसील सवाई माधोपुर की वाद पत्र मे वर्णित कुल आराजीयात कुल किता 16 कुल रकबा 7.29 है0 का राजस्व रिकार्ड ज़माबंदी मे दर्ज भाग के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर पक्षकारो के मध्य पारस्पिरिक सहमति से पूर्व से चले आ रहे मौखिक विभाजन व कब्जे के अनुसार ख0न0 1236 रकबा 0.28 है0, 1246 रकबा 0.30 है0, 1245/5669 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.01 है0, 1247 रकबा 0.16 है0, 1248 रकबा 0.68 है0, 1014 रकबा 0.18 है0, 1013 रकबा 0.20 है0, 295 रकबा 0.52 है0 वादिया को दिया जावे तथा उसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को भी मौखिक व कब्जे के अनुसार ही विभाजन मे भूमि दी जावे। विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे नक्शा ट्रेस मे इन्द्राजात किये जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही क़रे। इस प्रकार की इस्तंदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित [illegible] दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम कुशतला मे [illegible] समस्त खातेदारान अपने अपने हिस्से को अलग अलग काश्त [illegible] संख्या 1 द्वारा आराजीयात का तकासमा का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसका कोई [illegible]टिस अपीलार्थीगण को प्राप्त नही हुआ। अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा प्रारंभिक तकासमा डिक्री जारी की गई। यदि अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करते तो यह निर्णय कदापि नही होता इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। मुकदमा मे प्राथमिक डिक्री बनाये जानें के बाद रेस्पो0 न0 2 द्वारा तकासमा स्कीम बनाई गई उसका भी अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नही दिया गया। तकासमा स्कीम मौके पर नही बनाई गई अर्थात रेस्पो0 संख्या 1 की उपस्थिति मे तहसील कार्यालय मे बैठकर बनाई गई है। यदि तकासमा स्कीम मौके पर बनाई जाती व सुनवाई का मौका दिया जाता तो आराजीयात पर वर्तमान कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो जाती तो विवादित निर्णय व डिक्री कदापि जारी नही होते इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा तकासमा स्कीम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने अंतिक डिक्री जारी किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई नोटिसं नही दिया गया। यदि अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐतराज प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस अपीलार्थीगण को दिया जाता तो अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करते तो यह निर्णय कभी नही होता। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। टीनेन्सी एक्ट मे तकासमा किये जाने हेतु नियम बनाये गये है, नियम 20 मे स्पष्ट प्रावधान है कि सहखातेदारो के मौके पर आराजीयात के कब्जे के अनुसार यथा सम्भव तकासमा किया जावेगा, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 20 की पालना नही की गई है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 53 आर टी एक्ट के तहत कृषि जोत का विभाजन करने के संबंध मे राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 6.11.04 को दिशा निर्देश जारी किये गये है जिसके अनुसार प्रत्येक काश्तकार को विभाजन मे मिलने वाली भूमि पर रास्ते का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग के इस आदेश की पालना नही की गई। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाथीगण 1 लगायत 5 की मां का देहान्त 25 वर्ष पूर्व दिनांक 30.11.99 को हो चुका है तथा वह मौके पर किसी आराजी को काश्त नही करती है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत काश्तकार आन्नदी पत्नि बदरीलाल का भी तकासमा कर उसके नाम अलग से खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख0न0 1248 रकबा 0.68 है0 मे अपीलार्थी न0 6 का पिछले 6–7 वर्षो से अमरूदो का बगीचा लगा हुआ है जिसमे अमरूदो के बडे बडे पेड खडे है तथा चारो तरफ तारबंदी हो रही है। तकासमा मे यह खसरा न0 1248 रेस्पो0 न0 1 को दिया गया है। जो विधि विरूद्व है। आराजी ख0न0 294/1,295/1,297/1 अपीलार्थीगण न0 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त मे है जिनको तकासमा मे रेस्पो0 संख्या 1 को दिया गया है जो गलत है। आराजी ख0न0 250 रकबा 1.33 है0 अपीलार्थीगण न0 7 व 8 के कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके टुकडे कर दिये गये है। जबकि काश्तकार अपने हिस्सानुसार पूर्व से ही अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है। इसी प्रकार आराजी [illegible] 363 रकबा 0.18 है0, 374 रकबा 0.72 है0, 376 रकवा 0.67 है0, 4944 रकबा 0.86 [illegible] पर [illegible] रेस्पो0 न0 1 का है परन्तु तकासमा मे यह नम्बर अपीलार्थी न0 [illegible] को दिये गये है जो कब्जे काश्त के विपरीत है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पो0 न0 1 ने पूर्व मे ही सम्पूर्ण आराजीयात के रकबे का अपने हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा मौके पर प्रत्येक खातेदार ने अपनी अपनी आराजी की तारबंदी करवा रखी है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय व डिकी से पक्षकारान के मध्य एक नया विवाद खडा हो गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय होने से अपीलार्थीगण को निर्णय व डिकी की जानकारी समय पर नही हो सकी। दिनांक 2.8.23 को हल्का पटवारी द्वारा बताये जाने पर जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी के अनुसार अपील अन्दर मियाद पेश है परन्तु देरी के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण की सुनवाई कर तकासमा किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात कुल किता 16 कुल रकबा 7.29 है0 मे से वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदार राजेन्द्र प्रसाद,विजेन्द्रप्रसाद पुत्रान बलभद्र प्रसाद शर्मा के हिस्से 1/3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 8.5.19 को खरीद की गई है। विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 संख्या 3453 दिनांक 24.6.19 के आधार पर जमाबंदी मे इन्द्राज होने के कारण वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 खाता संख्या 427 मे अंकित भूमि मे 1/3 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार हुई है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। चूंकि विवादित आराजीयात का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा होने से पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु विधिवत बंटवारा नही होने के कारण ही वादिया/रेस्पो0 को विधिवत बंटवारा कराने का अधिकार प्राप्त होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा का वाद पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी बिना तामिल के ही निर्णय व डिकी पारित की गई है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया है परन्तु प्रतिवादीगण बाबजूद तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वादिया/रेस्पो0 साक्ष्य ली जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर से मौके एवं कब्जे के अनुसार प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर विधिवत रूप से तकासमा किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है जिसमे रेस्पो0 के अलावा गांव के अन्य स्वतंत्र व्यक्तियो के हस्ताक्षर है तथा तकासमा स्कीम पर स्पष्ट नोट अंकित है कि प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के मौके पर उपस्थित नही है। तकासमा स्कीम मौके पर तैयार की जाकर सरेआम सुनाई गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर [illegible] अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह [illegible] सामने आये कि ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या [illegible] किता 16 कुल रकबा 7.29 है0 मे वादिया एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार के रूप मे [illegible] है। जो पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी से स्पष्ट है। वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदार राजेन्द्र प्रसाद, विजेन्द्र प्रसाद पुत्रान बलभद्र प्रसाद के हिस्से की 1/3 आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पत्र दिनांक 8.5.19 को कय किया गया है जिसका नामा0 संख्या 3453 दिनांक 24.6.19 को रेस्पो0 न0 1 के नाम तस्दीक होने से राजस्व रिकार्ड मे बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ है। सहखातेदारी की भूमि मे प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है एवं वह उसका बंटवारा कराने का अधिकार रखता है। वादिया/रेस्पो0 न0 1 द्वारा इसी परिपेक्ष्य मे विवादित आराजीयात का बंटवारा कराये जाने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब तो किया गया परन्तु उनको रजिस्टर्ड सम्मन प्राप्त हुए या नही इसके संबंध मे डाक विभाग से ट्रेकिंग रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही उनके विरूद्व दिनांक 2.9.20 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है। जबकि विधिक रूप से डाक विभाग से ट्रेकिंग रिपोर्ट प्राप्त कर उसका अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही अमल मे लानी चाहिए थी। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा जो तकासमा स्कीम तैयार की गई है उस पर किसी भी प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर नही है ना ही उनको मौके पर किस दिवस को उपस्थित होना है के बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना दिये जाने का कोई प्रमाण पत्रावली मे उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो बंटवारा किया गया है उसमे राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 6.11.04 की पालना नही की गई है उक्त परिपत्र मे यह दिशा निर्देश जारी किये गये है कि प्रत्येक काश्तकार को विभाजन मे मिलने वाली भूमि पर रास्ते का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी मे रास्ते के बाबत किसी प्रकार का उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी एक पक्षीय है। जिसे पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नही हुआ है। अपीलार्थीगण विवादित आराजीयात के सहखातेदारान है जिनका विवादित आराजीयात मे हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0नं0 149/19 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 21.1.21 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 6.11.04 की रोशनी मे पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15.7.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सुरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:57:10 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर